

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

कृषि पम्पों के ऊर्जाकरण हेतु राशि ` 2200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 22,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 2 से 3

विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी में राज्य शासन के अंशपूंजी धनवेष्टन के रूप में राशि
` 45000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।